12.30 Hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTEENTH REPORT

SHRI VINODBHAI B. SHETH (Jamnagar): Sir, I beg to move:

"That this House do agree with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 12th April, 1978."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 12th April, 1978."

The motion was adopted.

12.31 Hrs.

RESOLUTION *RE.* CONTINUANCE OF ENGLISH AS ADDITIONAL LINK LANGUAGE—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: The House will now resume further discussion of the following Resolution moved by Shri S. D. Somasundaram on the 17th March, 1978:—

"This House do urge upon the Government to amend the Constitution so as to implement Pandit Nehru's solemn assurance to Parliament that, besides Hindi being the link language English would continue as additional link language so long as non-Hindi speaking people want it."

Shri Yuvraj may continue his speech.

Out of 6 hours allotted, there is a balance of 1 hour 26 minutes.

श्री युवराज (कटिहार) : राष्ट्रीय भाषा का स्तर प्राप्त करने के लिए हिन्दी पूर्णतया सक्षम है और संविधान ने विधिवत इसको राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन किया है और इसको घोषणा कर इसको मर्यादा का बढ़ाया है। न केवल यह सम्पर्क भाषा के रूप में परिभाषित है बल्कि यह बोधगम्य भी है। अन्य भाषाओं के शब्द इस में लिए गए हैं और इस देश में किसी प्रदेश की कोई जनता नहीं होगी, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे जो हिन्दी बोल नहीं सकते हैं और समझ नहीं सकते। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण ही हिन्दी को भारी नुकसान पहुंचा था और यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि प्रशासन के दृढ़ इरादे की कमी के चलते और सहयोग के अभाव के कारण जो हिन्दी पूर्णतया इस देश में एक मात्र सम्पर्क भाषा के रूप में समादृत होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी और आज अंग्रेजी को अतिरिक्त सम्पर्क भाषा के रूप में दुबारा कायम रखने के लिए हमारे भाई तर्क दे रहे हैं। हम इसलिए इसका विरोध करते हैं कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए सब से पहली और बड़ी बात है कि उसकी भाषा क्या है, उसके कामकाज की भाषा क्या है, सारे सरकारी प्रयोजनों का काम किस भाषा में होता है, संसद किस भाषा में अपनी कार्रवाई का संचालन करती है, शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई का माध्यम क्या है। हर दृष्टि से विचार करने के बाद हम देखते हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है, जन भाषा है और इस देश में कोई प्रदेश नहीं है जहां हिन्दी बोलने वाले नहीं हैं और वहां उनकी संख्या दूसरी या तीसरी नहीं है। हिन्दी भाषी राज्यों में तो शत प्रतिशत यही लोग हैं। आप देख कि हमारे देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या महज दो प्रतिशत है। आपको बहुत मौका मिला था हिन्दी को सर्वग्राह्य बनाने का और यह जिम्मेदारी प्रशासन की थी और अगर प्रशासन ईमानदारी से संविधान की भावना को कार्यान्वित करता तो अनेक दूसरे देशों की तरह यहां भी हिन्दी को जो स्थान मिलना चाहिये था वह स्थान मिल जाता। और आज भी यही प्रयास जारी है कि अतिरिक्त सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी बनाये रखी जाय। मैं गैर हिन्दी भाषी राज्यों के भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि भाषा का प्रश्न कोई कानून का प्रश्न नहीं। यह तो विशुद्ध सांस्कृतिक और निष्ठा का प्रश्न

[श्री युवराज]

है, और इसका समाधान तभी हो सकता है जब हम सब लोग मिल कर सहयोग करें। इसलिये अहिन्दी भाषी क्षेत्र की जनता पर हिन्दी थोपने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आज अंग्रेजी जो थोपी गई है हम उसे बरकरार रखना चाहते हैं ? इसकी भी एक सीमा थी। एक अवधि बीती, 15 वर्ष बीत गये, बार बार राजभाषा अधिनियम में संशोधन कर के इसे बरकरार रखने की कोशिश की गई। यह देश के लिये कलंक की बात होगी जहां की 70 फ़ीसदी जनता हिन्दी समझती हो आज उस देश ने अंग्रेजी की गरिमा अभी बरकरार है। जहां अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने इस देश की सांस्कृतिक मर्यादा को, भावनात्मक एकता को तोड़ने में जी जान की बाजी लगादी थी, आज हम उसी अंग्रेजी के लिये लड़ते हैं, अंग्रेजी को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं।

अगर हम भूलते नहीं हैं तो महात्मा गांधी के पहले जो हमारे पुराने मनीषी हो गये हैं जैसे राजा राम मोहन राय, श्री केशव राय, ऐसे विद्वानों ने हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिये प्रयास किया था। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन हिन्दी का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसका भावना से सम्बन्ध है। 5 अप्रैल को बेंगाल मूधन्य साहित्कार श्री विमल मित्र आये थे, केरल और तमिलनाडु के बड़े साहित्यकार अखिलेन्दम और श्रीकृष्ण राव मूर्ति आये थे, और एक स्वर से जब उनके सम्मान में आयोजन आयोजित था पटना में राष्ट्रभाषा परिषद की तरफ़ से तो श्री विमल मित्र और दक्षिण के बड़े साहित्यकारों ने हिन्दी के सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करते हुए यह भावना व्यक्त की थी कि हिन्दी ही सम्पर्क की एक मात्र भाषा हो सकती है....

MR. CHAIRMAN : We have a long list of speakers. Please conclude now.

श्री युवराज : महोदया, मेरी प्रार्थना है कि अतिरिक्त सम्पर्क भाषा के रूप में जो अंग्रेजी को बरकरार रखने का प्रयास है यह निसंदेह दुखद है, और मैं अपील करूंगा दक्षिण के भाइयों से, अहिन्दी भाषी राज्यों के भाइयों से कि हिन्दी सुबोध है, यह सांस्कृतिक एकता की एकमात्र कड़ी है इसे स्वीकार करना चाहिए।

श्री पायस टिर्की (अलीपुरद्धार) : सभापति महोदय, यह भाषा का सवाल बहुत पुराना है। आजादी के समय में कहा गया कि देश की भाषा वही होगी जो देश में अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है। किन्तु दुर्भाग्यवश हमारी स्थिति कुछ ऐसी थी कि हम लोगों ने विदेशी भाषा को अपना लिया और विदेशियों को इस देश से चले जाने के लिए बोल दिया। जनसाधारण के बीच में यही भावना पैदा हो गई है कि यह जो अंग्रेजी रखने की हिमायत कर रहे हैं जिनका सरकारी नौकरी चाकरी में एक गुट सा बन गया है जो चाहते हैं कि उसमें साधारण मनुष्य न आ सके। इसलिए वे अंग्रेजी को शासन की भाषा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। आज जितने भी सरकारी पदों पर हैं तथा अंग्रेजी जानने वाले के जो हिमायती हैं, उन्हीं के बाहुबल पर काम चलता आ रहा है। इसलिए अभी तक जो अंग्रेजी लागू करने के लिए जो कोशिश की जा रही है वह केवल इसलिए है कि हिन्दी भाषा-भाषी इलाकों में भी वहां के जो बुर्जुआ नौकरदार हैं जो सरकार में अंग्रेजी के हिमायती हैं, वे सरकारी नौकरियों में अपने ही लोगों को रखना चाहते हैं और साधारण मनुष्यों का शोषण करने की साजिश चला रहे हैं।

साधारण आदमी दफ्तरों और अदालतों की भाषा नहीं समझता है। अन्याय, अत्याचार और दुर्नीति छिपाने वाली भाषा यह अंग्रेजी भाषा बन चुकी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सक देश की भाषा ही सम्पर्क

भाषा होनी चाहिए। जिस प्रकार ज्यादा लोग हिन्दी समझते हैं, तो इसकी ही विकास की ज्यादा गुंजाइश है। जब आज भाषा के सम्बन्ध में बात आई है तो मेरा अनुरोध है कि हम सब गंभीरता पूर्वक इस विषय में एक विचार करें और जो भाई हिन्दी का विरोध करते हैं एवं अंग्रेज़ी की हिमायत करते हैं, उनको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर आज सारे देश में अंग्रेज़ी को पढ़ाया जाये तो वह आसान होगा या हिन्दी को पढ़ाया जाये तो वह आसान होगा। जो सबसे ज्यादा आसान हो, उसी को हम ले सकते हैं। यह सभी समझते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा को अगर देहातों में पहुचाया जाये तो यह कितना मुश्किल होगा? अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा सरकार ध्यान दे और कुछ प्रयत्न हो समूचे देश में, हिन्दी पढ़ना पढ़ाना हो तो जल्दी ही यह राष्ट्र भाषा हो कर यह देश की प्रगति में सहायक होगा। अंग्रेज़ी के सम्बन्ध में भी जो भाई अंग्रेज़ी की हिमायत करते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वह अपनी मातृभाषा बोले। चीन, जापान जैसे हरेक देश में अपने देश की भाषा जब लोग बोलते हैं तो हम भी क्यों न अपने देश की भाषा बोल और विदेशों में भी हम अपना नाम ऊंचा करें।

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura): On the other day, I was present in the House : and I was pained to find that some of our Members still want to continue with English. English, as a matter of fact, has been left with us, due to foreign domination. I realize the difficulty of our friends from the South in learning Hindi so soon ; and I am not in favour of saying that Hindi should be thrust upon them, or that there should be indecent haste in bringing it, against their will. But I think it is not at all difficult to learn, if our friends from the South try to learn it. After all, they have learnt English. They can easily learn Hindi. I am prepared to learn any one of the South Indian languages, if it is made a link language, and people are compelled from now on to learn a South Indian language. That will be far better; but to continue with English reminds us of our slavery and of the old British regime. When we see many heads of States and heads of Governments from other countries coming here and speaking to us in their own mother-tongues and our Ministers and heads of Governments speaking to them in English we have to hang our heads in shame. So, I am speaking in English purposely so that our friends from the South may appreciate it. It is only for their convenience that I am speaking in English. As a matter of fact, I am not so fluent in English as I am in Hindi, which is my mother tongue and also the national language. After all, only two per cent of the population of India knows English. Dr. Ram Manohar Lohia of the Socialist Party, who was one of the half a dozen people will-versed in English, thought it quite necessary in the natiobal interest and in the interest of our national prestige that we should do away with English. Mathatma Gandhi was the first leader who thought of the necessity of doing away with English. For the first time he addressed the convocatilon of the Banaras Hindi University in Hindi and that almost created a reveolution in these days. Shri Rajagopalachari also in his time expressed a similar view, in favour of Hindi. If this has received a set back, it is because of the over-anxiety of our friends from the north, who want to bring Hindi with indecent haste.

I would suggest that there should be a national conference where we should sit together and devise ways and means of doing away with English. Along Hindi we can also have any of the languages of the south to be learnt in the whole country, be it Tamil, Telugu, Malayalam or any other language, but English should go. Englishmen have left us but their legancy of language still remains in our country. We should not, parrot-like, repeat the English language. It is not in our naiional interest. So, I woud suggest that our hon. friends should sit together and evolve ways and means to do away with English. It will, in fact, inrease our national prestige in the international world.

SHRI K. LAKKAPPA : (Tumkur): Sir, I take this opportunity to express my opinion on the language issue. When I got elected to this House, Dr. Lohia was a Member of Parliament. I think Shri Gupta was also with me. When for the first time I pressed my claim to particiaate in the discussion by speakingin Kannada, which is my motehr tongue, Dr. Lohia supported me. Since Dr. Lohia' name was mentioned, I was reminded of that inident. But Dr. Lohia's intention was not to impose Hindi on the population with fantaticism. He wanted to do it gradually.

[Shri K. Lakkappa]

We have got a number of States which have got different languages. Even the the election results of the Janata Party have gone on language lines. The States in which the Janata Party is in power is called the Hindi belt. But this is not the sprit in which the language issue was discussed by our forefathers, even at the time of the drafting of the Constitution. When the draft Constitution was prepared by the constitutional advisers of the Drafting Committee, it contained some provisions relating to the official language and the languages to be used in the Indian Parliament and in the State Legislatures.

The langage issue figured prominently during the general discussions of the draft Constitution. A special committee was appointed consisting of Maulana Abul Kalam Azad, Pandit Gobind Vallabh Pant, Shri Purshottamdas Tandon, Dr. Shyam Prasad Mukherjee, Shri Balakrishna Sharma, and Shri K. Santhanam. The committee suggested that English would be the only official language for ten years, and thereafter if both Houses of Parliament decided by two-thirds majority of those present and voting, it could be extended for another five years.

Language should not become a controversial issue in a country with a developing economy. A developing nation should not make language an emotional issue and create a sense of insecurity, a sense of parochialism, a sense of division among the people.

The laguage policy has been criticised not only by the southern States, but also by the other regions of our country. If you go to Assam, you will find the same appreciation for Assamese, but at the same time there is no reluctance of the people there to learn or love Hindi.

My second language is Hindi. We are not against Hindi, but we want that equal respect should be given to all the languages of the country.

Especially during the last year, the party now running this Government has been creating not only dissatisfaction among certain sections of the people and certain States of this country. The manner in which they conduct themselves in Parliament itself, the supreme body, and the manner in which some Ministers respect the other languages and the speeches of Members in other languages, shows that. I do not want to cite Mr. Raj Narain. It is not only he.

When the Home Minister visited Karnataka during election time, the people there time and again told him that he was speaking in Hindi which they could not follow, but he insisted on speaking only in Hindi, whether they listened or not. The Home Minister who is supposed to be the custodian of not only the development of the languages but also the integration of this country made such a statement, creating an atmosphere of imposing Hindi.

Karnataka especially is not fanatic on the language issue. The people there love to learn Hindi, but is there any machinery set up with the same zeal and enthusiasm in other parts of the country to learn the other regional languages? Is there any meaningful communication from the Centre to the States about cultural and regional understanding?

Shri Chandrappan has raised the issue of the Centre's correspondence with Kerala. In Karnataka also they sometimes receive communications in a language which they cannot understand. Sometimes, they answer in the language which these people cannot understand. These are the controversies. We do not mean any disrespect to the languages. So far as language issue is concerned, there are many countries which have bilingualism or even multi-lingualism in the administration. Even in Canada, Switzerland, USSR and many other countries, the language problem will not come in the way of the development of the country. But the administration has to take interest. Unfortunately, they have no programme or policy. There is no economic policy evolved by this Government. We have been watching that all the Members of the Janta Party especially from three States, are always protesting whenever the language problem is raised on the floor of this House. This will not be conducive to the situation to understand each other. The people will feel that the other corner of the country has no respect for the regional languages. Then how can you have the three-language formula? Was this three-language formula implemented fully? Mr. Gopal was raising an issue that when we go to the railway station and buy a ticket, the destination on the ticket will be in a different language which the passenger will not know, with the result the passenger will sit in a different train and will reach a different destination and ultimately he will land in Delhi because some ticket checker may catch him for travelling in a different train for which he has no ticket. This is what is happening. Some of the Members said that Hindi is the mother tongue of the majority of the people. But if you take the population whose mother tongue is not Hindi and compare it, you will find that English knowing people are more. Even the sponsorer of the Resolution. Mr. Somasundaram, is coming from Tamil Nadu. It is not that Tamil

Nadu people hate Hindi but they are asking for a legitimate right to understand each other, a right to communicate with each other and feel oneness in the country. But their approach is that the people should not understand anything in the country and there should be a stop of communication from one State to another. This is not a democratic system or understanding of the approach. Nothing will be done if Hindi is imposed. All the languagees provided in the Constitution should be developed, should be respected. There are a number of other languages which through emotional approach of the Government..

MR. CHAIRMAN : You have made the point. Please conclude now.

Shri K. LAKKAPPA : The Home Ministry for the last one year is creating scare in the minds of the people.

MR. CHAIRMAN : I am calling the next speaker.

SHRI K. LAKKAPPA : I would humbly request the hon. Home Minister to take stock of the situation and kindly see that some sort of a solution which is acceptable to all, should be found out.

MR. CHAIRMAN : Shri Samar Guha.

SHRI SAMAR GUHA : Madam Chairman.....

MR. CHAIRMAN : Just five minutes.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं हिन्दी में बोल रहा हूं, इसलिए कुछ कन्सैशन दीजिए ।

MR. CHAIRMAN : There are a large number of speakers. I would appeal to you to cooperate. As I have already said, there is very little time left for the resolution

श्री समर गुह : मेडम चैयरमैन, बड़े जोर-शोर से हिन्दी के प्रसार, प्रचार और उस की प्रगति के लिए हमारे बहुत से साथी निवेदन कर रहे हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। बात यह है कि संविधान में कहा गया है कि हिन्दी सरकारी भाषा होगी और इसके प्रसार, प्रचार और प्रगति के लिए कुछ बातें संविधान में कही गई हैं लेकिन म एक बात हिन्दी भाषी भाईयों से पूछना चाहता हूं कि यह क्या बात है कि जो हिन्दी भाषी भाई हैं वे बड़े जोर-शोर से कह रहे हैं कि हिन्दी का प्रसार, प्रचार और प्रगति हो। सिर्फ यही नहीं है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, नेशनल लैंगुएज बनाया जाय, यही वह नहीं कह रहे हैं बल्कि यह भी कह रहे हैं कि देश की एकता के लिए, संगठित करने के लिए और देश की प्रगति के लिए भी हिन्दी भाषा की जरूरत है। यह भी कहा कि अंग्रेजी जमाना चला गया, तो कोई हिन्दुस्तानी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय भाषा हो और अगर हिन्दी भाषा न हो, तो क्या होगा और अभी तक अगर अंग्रेजी भाषा रहती है तो यह कहा जाएगा कि गुलामी की कोई छाया रह गई है, लेकिन मैं इस बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हिन्दी के बारे में दो मत नहीं हो सकते कि जब संविधान में दिया हुआ है कि यह हमारी सरकारी भाषा होगी, तो इस को तो मानना ही होगा लेकिन यह क्या बात है कि—इस पर आप जरा ख़्याल कीजिए—हिन्दी भाषी इलाके से जो भाई आते हैं, वे ज्यादातर, एक दो आदमियों को छोड़ दीजिए, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हिन्दी भाषा ही हो और जो हिन्दी भाषी, नान-हिन्दी एरियाज से आते हैं, वे इतना जोर इस बारे में क्यों नहीं दे रहे हैं ? क्या इस का मतलब यह है कि अहिन्दी भाषी जो आदमी है, वे देशभक्त नहीं हैं, उन के मन में देश प्रेम नहीं है और क्या वे कोई मातृभाषा नहीं चाहते हैं, कोई राष्ट्रीय मर्यादा नहीं चाहते हैं ? यह कहना ठीक नहीं होगा। तमिल का, केरल का, बंगाल का और आसाम का आदमी भी उतना ही देशभक्त है जितना कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों का। लेकिन ऐ क्यों है कि ऐसा भय, ऐसा डर, ऐसा आतंक पैदा हो गया है, इस पर गौर से सोचना चाहिए। अगर यह नहीं सोचेंगे तो मैं आप को एक चेतावनी देना चाहता हूं, आप को सतर्क करना चाहता हू कि इस प्रकार से तरह-तरह के मामले उठेंगे, ज्वालामुखी का उद्धरण

[श्री समर गुह]

होगी जैसा कि जातपात के बारे में हो रहा है और अंग्रेजी में कहा जाए, तो एक पोटेंशियल ज्वालामुखी है यह भाषा। अगर इस तरह के प्रश्न को उठाया जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। इस मामले पर, जैसा कि जातपात के मामले पर हो रहा है, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जो बड़े जोर-शोर से हिन्दी को, एक ही भाषा को रखने के लिए आप बड़ा जोर दे रहे हैं, उस के लिए आप धीरे धीरे चलें, जरा सोच-समझ कर चलें और जरा आप चारों तरफ देख कर चलें कि भारत की राष्ट्रीयता, जातीयता और हिन्दुस्तान की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई जो स्थिति है, उन सब का क्या संगठन है, कैसा उन का गठन है। इन सब बातों को देख कर, विचार कर और समझ कर जरा आप चलिए और यह जो उतावलापन है जैसे मन उबल रहा हो, यह न दिखावें। हिन्दी को दूसरों पर लादना ठीक नहीं होगा। इस से बड़ा भयंकर विस्फोट हो सकता है और एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस मामले में आप जरा धीरे चलें।

हमारे संविधान में क्या दिया गया था। उस में कहा गया था कि 15 साल तक अंग्रेजी चलेगी और उसके बाद लोक सभा और राज्य सभा की 30 आदमियों की एक समिति प्रेसीडेंट साहब बनाएं और उस कमेटी के बनने के बाद सोचेंगे कि किस तरह से इस काम को किया जाए। उस कमेटी की राय 1967 में आई। उस ने क्या कहा था। उसमें यह कहा गया था कि हिन्दी सरकारी भाषा रहेगी और अंग्रेजी उसके साथ सम्पर्क भाषा रहेगी। तो यह कहा गया था। तो आप इतनी जल्द-बाजी इस मामले में मत कीजिए। जो पार्लियामेंट ने फैसला दिया था . . .

MR. CHAIRMAN : The Hon. Member may try to conclude now

श्री समर गुह : थोड़ा और समय दीजिए। यह गंभीर मामला है।

MR. CHAIRMAN : The Minister has to reply at 4.15 P.M. I would request you to cooperate with me. The next resolution is also yours. There are other Member also who want to speak.

SHRI SAMAR GUHA : Kindly give me a few minutes more.

MR. CHAIRMAN : Only 2 minutes.

श्री समर गुह : हिन्दी में पहली बार मैं बोल रहा हूं इस सैशन में तभी भी मुझे कुछ मौका नहीं मिल रहा है अपने मन की बात का खुलासा करने का। (व्यवधान) मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं यही चेतावनी दे रहा हूं कि इतना उतावलापन आप न दिखाएं, इतनी जल्दी आप न करें। मैंने कहा है कि 1967 में पार्लियामेंट ने यह राय दी थी कि हिन्दी को सरकारी भाषा माना जाए और अंग्रेजी को लिंक लेंगुएज माना जाए, इस फैसले को आपको देखना चाहिए और इसका खयाल करना चाहिए। कांस्टीट्यूशन में क्या है ? संस्कृत से तथा और जो भारतीय भाषायें हैं उन से हिन्दी में शब्द लेना। इन सब सोर्सिस से हिन्दी को मजबूत करने के लिए शब्द लिए जाएं यह कहा गया था। हिन्दी को मजबूत बनाने के लिए ही यह बात कही गई थी। लेकिन आज क्या हो रहा है। [चौधरी साहब जानते हैं महात्मा गांधी कहा करते थे कि हिन्दुस्तानी भाषा राष्ट्र भाषा होगी, राज भाषा होगी। हिन्दी शब्द का उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज क्या हो रहा है ? कहां हिन्दी और कहां हिन्दुस्तानी। अगर आप चाहते हैं हिन्दी को सरकारी भाषा बनाना तो हिन्दुस्तान की जितनी भाषायें हैं सब भाषाओं में से चुन चुन कर आपको इस भाषा को समृद्ध बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी चेष्टा ही

नहीं की जा रही है। जो चेष्टा की जा रही है वह संकीर्ण दृष्टिकोण से की जा रही है। इसी को एक मात्र भाषा बनाने की कोशिश हो रही है। आप को खयाल रखना चाहिए कि उन लोगों का क्या होगा जिन की हिन्दी भाषा नहीं है। अगर इसको एक मात्र सरकारी भाषा मान लिया जाता है तो हिन्दी भाषा भाषी जो हैं उनको [illegible] हो जाएगी, पोलिटिकल, इकौनोमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कम्पीटीशन आदि क्षेत्रों में और अहिन्दी भाषा भाषियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, उनको क्या नुकसान होगा। उनके मन में क्यों डर है इसको आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं दिल्ली के अखबारों की बात नहीं करता। लेकिन कलकत्ता के अखबारों में यह खबर आई है कि वहां पर एक बड़ी भारी आल इंडिया लिंग्विस्टिक कान्फ्रेंस हुई थी जिस को कलकत्ता के चीफ जस्टिस शंकर प्रसाद मित्रा ने प्रिजाइड किया था। दक्षिण से, पंजाब से सब जगह से लोग उसमें भाग लेने के लिए आए थे। उस कान्फ्रेंस की राय थी कि 1967 में जो पार्लियामेंटरी कमेटी बनी थी और उसने जो राय व्यक्त की थी उसके मुताबिक हम को चलना चाहिए।

मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। खयाल करके आप चलें, धीरे से आप चलें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो यह सुझाव दे कि हिन्दी को हिन्दुस्तानी भाषा कैसे बनाया जाए और कैसे इसकी प्रगति और प्रसार किया जाए। इस कमेटी में कम से कम सत्तर परसेंट नान-हिन्दी लोग रहें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा कि हाउस में मत व्यक्त किया गया है जरूरत हो तो एक और कमेटी आप हिन्दी के बारे में बना सकते हैं।

1967 में जो फार्मूला तैयार किया गया था और जो राय व्यक्त हुई थी उस राय के मुताबिक आपको चलना चाहिए।

हिन्दी ही केवल एक राष्ट्र भाषा नहीं है। राष्ट्र भाषा बंगला भी है तथा और जो पंद्रह हमारे देश की भाषायें हैं वे भी हैं। हिन्दी पर जोर जरूर देना चाहिए लेकिन इसी एक मात्र भाषा पर नहीं देना चाहिए। दूसरी जो राष्ट्र भाषायें हैं सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आफ सेंट्रल पैट्नंज होनी चाहिए, ग्रांट्स का आवंटन समान रूप से सब में होना चाहिए। आज तो आप हिन्दी पर ही अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। और जो भाषायें हैं जैसा मैंने कहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वह नहीं हो रहा है। इसको भी आपको देखना चाहिए।

अन्त में मैं अपील करूंगा कि जरा धीरे आप चलें, समझ बूझ कर चलें, अहिन्दी भाषा भाषियों में क्यों भय है, डर है, आतंक पैदा हुआ है इसको आप समझने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक नया ज्वालामुखी विस्फोटित हो जाएगा और देश के विखण्डित होने का खतरा पैदा हो जाएगा, उसका रास्ता खुल जाएगा यही चेतावनी अन्त में मैं आपको देना चाहता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, यह बहुत दुख की बात है कि 30 साल की स्वतन्त्रता के बाद भी आज हमारे देश में भाषा का वाद विवाद है। यह दुखद बात है और चिन्ता की भी बात है। यह बात सही है कि हम जब यह बात करते हैं कि हिन्दी बोलने वाले 50,

[श्री कंवर लाल गुप्त]

60 प्रतिशत हैं इसलिए हिन्दी होनी चाहिए, मैं इसको ठीक नहीं मानता । हमें हिन्दी को अगर इस देश में लाना होगा तो सारे देश के सब लोगों की सद्भावनाओं को साथ ले कर के लाना होगा, उनकी सद्भावना को छोड़ कर के, खंडित करके हिन्दी देश में नहीं ला सकते । अगर हमने इस प्रकार की कोशिश की तो देश टुकड़े टुकड़े हो जायेगा, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । आज देश में वाद विवाद है भाषा का । इसके लिए कौन दोषी है ? मैं किसी एक के लिए नहीं कहता । हिन्दी के लोग भी दोषी हैं जो हिन्दी को बहुत जल्दी देश में लाना चाहते हैं, और गैर हिन्दी वाले भी दोषी हैं जो हिन्दी से घृणा का भाव रखते हैं । इसलिए अगर देश में हिन्दी को चलना है और ठीक तरह से चलना है तो दोनों को अपनी जगह पर एक बैलेंस बैठाना होगा तभी देश में हिन्दी चल सकती है ।

मैं इसमें इन्कार नहीं करता कि अंग्रेजी का एक रोल है इस देश में भी और विदेशों में भी रोल है । यहां तक कि अभी भी हमारे विधान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है । तो वह एक रोल है और कुछ दिन तक रहेगा । और मैं इस बात को मानता हूं कि दक्षिण भाषी लोग जब तक हिन्दी को अपनी इच्छा से यह नहीं कहते कि यह हमारी भाषा है और हम पढ़ेंगे, हमें उनको नहीं कहना चाहिए कि आप जबरदस्ती उसको पढ़िये । तभी यह बात ठीक रहेगी । हम उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा कर हिन्दी नहीं लाना चाहते ।

लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग आज देश में ऐसे हैं, कुछ लोगों की जैनुइन फ़ीलिंग होगी कि हिन्दी हम पर थोपी जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी चीज़ पर जिन्दा रहना चाहते हैं । वह अगर भाषा का झगड़ा न उठायें तो शायद उनको वोट ही न मिलें । इसलिए यह भाषा का झगड़ा रहना चाहिए । वह इसमें राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं । उनसे मेरी प्रार्थना है कि राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से देश म भाषा का जो वाद विवाद खड़ा करते हैं इससे आप देश की एकता को खंडित करते हैं । यह चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए ।

सभापति महोदय, मैं अण्डमान गया था । वहां बंगला देश के लोग भी रहते हैं, तमिल, तेलगु और हिन्दी बोलने वाले भी हैं । लेकिन जब वहां पर वह आपस में बात करते हैं तो हिन्दी में बात करते हैं । मेरे साथी इस चीज़ को मानेंगे । मैंने अंडमान को एक आदर्श जगह पाया । छोटी जगह होते हुए भी, अन्य भाषाओं के बोलने वाले लोग होते हुए भी, तेलगु, तमिल, बंगला, गुजराती, मराठी बोलने वाले होते हुए भी, लेकिन जब आपस में वह बात करते हैं तो अंग्रेजी में नहीं, हिन्दी में बात करते हैं । तो वह एक समय आना चाहिए । लेकिन वह समय हम लादना नहीं चाहते । आप जितनी देर चाहें उतनी देर लीजिए । हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि --

Do you want to equate Hindi with English ? You should not. You cannot equate a foreign language with an Indian language, whether it is Telugu or Hindi or Tamil or Marathi or Bengali.

अगर यह चीज़ आपकी समझ में आ जाये कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, आप कितने दिन में उसको भेजिए, अंग्रेजी पढ़ना बुरा नहीं, अंग्रेजों के जाने के बाद भी पढ़ना चाहिए इंटरनेशनल भाषा है, वर्ल्ड में इसका रोल है और यहां भी रहेगा, टेक्नोलाजी है, साइंस है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, पढ़ना चाहिए । म भी चाहता हूं कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन वह विदेशी भाषा है और उसको

किसी न किसी दिन यहां से जाना चाहिए। यह आपको स्वीकार करना चाहिए। जाना कब चाहिए यह आप तय करिये, हम नहीं तय करेंगे। यह मेरा कहना है। और जो प्रस्ताव का भाव है मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि विधान में कोई संशोधन करने की जरूरत है। सरकार की पालिसी यही है, जो आप कह रहे हैं। श्री चरणसिंह जी का जो उदाहरण दिया, मैं समझता हूं कि आप वह राजनीति लायें।

चरणसिंह जी ने यह कहा कि मैं हिन्दी में एक सवाल पूछ रहा हूं जनता से कि क्या हिन्दी बोलने की वजह से पब्लिक लाइफ में कोई रह सकता है या नहीं? यह मैं गलती नहीं कहता। यह सवाल किया—मैं चूंकि हिन्दी बोलता हूं, अंग्रेजी नहीं बोलता, इसलिए मुझे पब्लिक लाइफ में नहीं रहना चाहिए? मैं समझता हूं कि यह उन्होंने बड़ा जायज़ सवाल किया। उसके बारे में आपके पास कोई जवाब नहीं है। लोगों ने उनकी बात को सुना।

मेरा कहना यह है कि हिन्दी पचास प्रतिशत बोलते हैं, 60 प्रतिशत बोलते हैं, तमिल 10 प्रतिशत बोलते हैं, इस चीज़ के बेसिस पर हिन्दी देश की भाषा बनेगी, यह मैं नहीं चाहता, न्यूमरिकल स्टेंड पर नहीं .....

MR. CHAIRMAN : You had to conclude in one minute. One minute is over.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I would not take now more than a minute.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं मांग करता हूं कि देश के इंटरेस्ट में हम लोगों को भाषा का झगड़ा पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर नहीं उठाना चाहिए। जो यह झगड़ा उठाता है, वह मैं समझता हूं कि देश का हित नहीं करता है। अन्त में मैं यह निवेदन करते हुए समाप्त करता हूं कि थी लैंगुएज फार्मूले का मैं समर्थन करता हूं और वह देश में लागू होना चाहिए।

*SHRI A. SUNNA SAHIB (Palghat) : Madam Chairman, I have been honoured by the opportunity given to me for participating in this Debate. I am speaking in Tamil but I hail from Kerala. I can speak in Hindi also and I have learnt Sanskrit.

I can say without any fear of contradiction that Tamil is the most ancient language of the country with a culture of its own. It has only 18 consonents and 12 vowels. It is the easiest lauguage to learn. Yet I would like to know what efforts have been or are being made by Hindi-speaking people to learn Tamil or any other South Indian language. We have got even the grouse that Tamil has not received equal respect in the hands of Hindi-speaking people, as much respect as they show towards English. In fact, I should say that the Hindi-speaking people, who call English as the Imperialist language, have not shown even the elementary courtesy and kindness towards regional languages of the country which have been recognised in the Constitution of India. I would not like to think that I am an antagonist of Hindi.

Here I wouldlike this House to consider what prompted Pandit Nehru, the Light of Asia, to give an assurance to the country that English would continue so long as the non-Hindi speaking people wanted it. He was sagacious enough to say that Hindi also should raise to the heights of English and till then English should be there. He wanted English to continue primarily in the interest of social, political and economic growth of the country. National integration was far more important for him than linguistic chauvinism. He did not want to contribute to the feeling that North was waxing while South was waning. For him the percentage of people speaking Hindi was not the consideration for having it as the sole link language of the country.

We are not opposed to Hindi, but we are opposed to its imposition. You now,

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri A. Sunna Sahile]

Madam, that any imposition creates violent reaction. When the non-Hindi speaking people find that Hindi is being thrust on them, they turn into violent haters of Hindi. Fanaticism generates fanaticism. I am the President of Hindi Prachar Sabha in my constituency. I am interested in the growth of Hindi as a language. It should not be linked with minority and majority. Can anyone speak better English than the late Sir Ramaswami Mudaliar or late Satyamurthy? English was a vehicle of thohugt for them. It was a bridge of communication for them. It was not hot-bed of controversy. Similarly, Rabindranath's Jana Gana Mana aroused nationalism in the minds of the people, whether they came from South, East or West. Language is an emotional outlet and it should be capable of generating understanding and appreciation. It should evoke reciprocity and not retaliation. If a communication in Hindi is sent to the Kerala Chief Minister who does not know Hindi, naturally he will be tempted to retaliate by sending a communication in Malayalam. It must be borne in mind that nation is to be kept at the highest pedestal and it should not be made the victim of language whirlwind.

We from the South are equally, if not more, interested in national integration. We want to work for the growth of composite culture of the nation. As is mentioned in Gita, YADHA YADHA HI DHARMASYA GLANIR BHAVATI BHARATA, good action will end in successive good actions. We should not be the torch-bearers of the saying "Sow the wind, Reap the whirlwind". Language should be the communication for common good. English has not taken the country backward. It has contributed for the growth of the nation. The choice of one link language for the country should be left to the people of non-Hindi speaking Southern States and that would be the greatest honour which we would be showing to Pandit Nehru.

With these words, I thank you and resume my seat.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हमारे मन की मधुमक्खी संसार के सभी उद्यानों में जायेगी, लेकिन अपनी ही रीति से मधु का कोश तैयार करेगी। पिछले तीस सालों में हमने समचे संसार का भ्रमण कर लिया है। क्या मैं यह पूछने का हकदार हूं कि हमने उस मधु को अपने तरीके से तैयार किया है? नहीं तैयार किया है। आज इस बात पर अफ़सोस होता है कि हिन्दुस्तान की पार्लियामैंट, लोक सभा में भी हम अपनी मातृभाषा में नहीं बोल पाते हैं और प्रस्ताव पेश करते हैं कि अंग्रेज़ी को जारी रखा जाये। आज-कल भारत में रशन डेलीगेशन आया हुआ है। वह इस समय देश में भ्रमण कर रहा है। हेगड़े साहब ने हमें अशोका होटल में बुलाया था। आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि उस डेलीगेशन का नेता रशन भाषा में बोलता था। वह अंग्रेज़ी नहीं जानता था। हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप अंग्रेज़ी जानते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता हूं। जब हेगड़े साहब अंग्रेज़ी में बोलते थे, तो उस का अनुवाद रशन में किया जाता था। इतने पावरफुल डेलीगेशन के सदस्य भी अंग्रेजी नहीं जानते हैं और अपना सारा काम काज रशन में चलाते हैं।

16.2 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

लेकिन हम लोग इतने निकम्मे हैं कि तीस साल के बाद भी हम चाहते हैं कि अंग्रेज़ी को चलने दिया जाये।

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग हिन्दी को थोपने के समर्थक नहीं हैं। लेकिन हम पूरी दिलेरी के साथ यह मांग करते हैं कि अंग्रेज़ी को तत्काल ख़त्म किया जाये, अंग्रेज़ी को इस देश में नहीं चलने देना चाहिए। अंग्रेज़ी शोषण का हथियार है। दक्षिण के जो लोग अंग्रेज़ी का समर्थन करते हैं, वे दक्षिण के हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आख़िर दक्षिण में भी कितने परसेंट लोग अंग्रेज़ी जानते हैं? दक्षिण भारत में भी अंग्रेज़ी जानने वाले चार पांच फ़ीसदी होंगे--उससे भी कम होंगे। लेकिन शहरों के जिन लोगों को शहरी भाषा, अंग्रेज़ियत, की आदत पड़

गई है, उन के द्वारा यह मांग हो रही है कि अंग्रेजी को जारी रखा जाये, ताकि वे देश पर राज कर सकें।

मैंने एक बार इस सदन में कहा था कि मुझे इस बात पर शर्म आती है कि जब हम सेक्रेटेरियट में किसी को टेलीफ़ोन करते हैं, तो जवाब दिया जाता है कि मैं हिन्दी नहीं जानता हूं। आज यह स्थिति है कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी न जाने, तो उसे पार्लियामैंट में आने का अधिकार नहीं है, वह वहां पर अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को नहीं रख सकता है। मैं यह नहीं कहता कि हिन्दी को लादा जाये। मैं कहता हूं कि अंग्रेजी को खत्म किया जाये। दक्षिण की एक भाषा को चुना जाये। और दक्षिण की एक भाषा और उत्तर की एक भाषा को कम्पलसरी किया जाये।

दक्षिण में श्री रामास्वामी नायकर जैसे एक से एक नेता पैदा हुए। लेकिन उत्तर भारत में लोग उन का नाम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक भाषा के घेरे में सीमित रखा। दो भाषाओं को कम्पलसरी किया जाये, तब समान रूप से गंगा बहेगी।

यह मामला शिक्षा मंत्री से भी ताल्लुक रखता है। आज जितने भी आई० ए० एस० और आई० एफ़० एस० आफ़िसर्ज हैं, वे कौन लोग हैं? वे एक ही तबके, एक ही वर्ग के लोग हैं, जिन के पास हजार बीघा जमीन भी है, कल-कारखाना भी चलता है और बड़े ओहदे पर भी बैठे हुए हैं। इस का एक ही कारण है कि वे तमाम अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए हैं। उन में से एक परसेंट भी ऐसे नहीं होंगे, जो किसी गांव के स्कूल में पढ़े हों। मैं गृह मंत्री जी से मांग करूंगा कि यदि यह मामला एजूकेशन डिपार्टमैंट से भी सम्बन्ध रखता है, तो वह इन लोगों का प्रोटेस्ट, विरोध, शिक्षा मंत्री तक भी पहुंचा दें।

हमने यह कमिट किया है कि—

राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान,

ब्राह्मण या भंगी का बेटा, सब की शिक्षा समान।

देश भर में एक तरह की शिक्षा चलनी चाहिए। देश में अपनी मातृभाषायें चलें—हिन्दी, उर्दू, बंगला और तेलगु चलें। देश में अपनी भाषायें चलनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा नहीं रहनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि अगर देश में अंग्रेजी भाषा नहीं चलेगी तो देश टूट जायेगा उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग देश में अंग्रेजी भाषा चलाना चाहते हैं वे देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आजादी के तीस साल के बाद अब हमें सदबुद्धि आनी चाहिए और इस देश के हरिजन तथा तमाम गरीब गुर्बा लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस देश से तत्काल अंग्रेजी को खत्म होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, आज का जो विषय है, उसमें मैं समझता हूं कोई विवाद है ही नहीं। केन्द्रीय सरकार की जो पहले से नीति चल रही थी, पं० नेहरू के जमाने से, उसको माननीय प्रधान मंत्री जी मेरे साथी और मैं स्वयं एक से अधिक बार दोहरा चुके हैं कि वही नीति इस गवर्नमैंट की है और इसमें कोई अन्तर किसी प्रकार का नहीं है, यहां तक कि इम्फैसिस का भी अन्तर नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की तरफ से यह प्रचार किया जा रहा है कि जनता

[श्री चरण सिंह]

सरकार दक्खिन के लोगों पर हिन्दी थोपना चाहती है। हो सकता है कि अपना पक्ष समझाने में हमारी तरफ से कोई कमजोरी रही हो लेकिन नीयत की कोई कमी नहीं है, आशय में कोई अन्तर नहीं है। मैं फिर फार्मली, ज़ाब्ते के तौर पर कहना चाहता हूं कि जो पालिसी पहले ज़माने से, पं० नेहरू के ज़माने से इस सम्बन्ध में चली आ रही है, यह गवर्नमैंट भी उस पर कायम है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोई अकेज़न नहीं था, कोई अवसर नहीं था इस प्रकार के प्रस्ताव को लाने का। वैसे ऐक्ट के जरिए मेरे मित्र जो बात चाहते हैं वह पहले 1967 से लागू हुई है और 1976 में उसके अधीन नियमावली बन गई तो फिर कांस्टीट्यूशन में चेंज करने का क्या मतलब है? वह गैर-जरूरी है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

अब रही बात यह कि हिन्दी पर बहुत बल दिया जा रहा है। मुझे माननीय समर गुह के व्याख्यान को सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ। कोई भी राष्ट्र हो, उसमें आम तौर पर एक ही भाषा रहती है। सिर्फ कनाडा ऐसा एक मुल्क है जिसमें दो भाषायें हैं — फ्रेंच और इंग्लिश। इसी भाषा के आधार पर अब वहां फ्रांसीसी लोगों की तरफ से मतालबा है कि जिस इलाके में वे हुए बसे हैं वह एक अलाहिदा मुल्क बना दिया जाये। इसके अलावा सभी देशों में एक ही राष्ट्र भाषा है। हमारे देश की यह बदकिस्मती रही है कि सैकड़ों वर्षों से हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहे हैं। महाराज अशोक के काल को छोड़ कर और औरंगज़ेब के कुछ काल को छोड़ कर हमारा मुल्क छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त रहा है। अपने राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे से अलाहिदा करने के तीन कारण रहे हैं --धर्म, भाषा और बिरादरी। हम लोगों में अपने धर्म से उठ कर राष्ट्रीयता का जो भाग पैदा होना चाहिए था, मुझे अफसोस के साथ मानना पड़ता है कि हम उसको पैदा नहीं कर पाये। नतीजा यह हुआ कि देश की तक्सीम हो गई। धर्म का जो भाव पैदा हुआ उसने अपनी कीमत चुका ली। लेकिन अभी भी एक भाई को दूसरे भाई से अलाहिदा करने के दो कारण मौजूद हैं--भाषा और बिरादरी। बिरादरी धीरे धीरे कम होनी चाहिए थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हम लोग बिरादरियों में बटे हुए थे लेकिन चूंकि एक दुश्मन सामने था इसलिए बिरादरी की भावना से ऊपर उठकर लगभग सभी लोगों ने, 90 बल्कि 99 प्रतिशत लोगों ने कांग्रेस के झंडे के नीचे काम किया। मुझे मालूम है, उस वक्त कोई साथी दूसरे साथी से बिरादरी पूछने का साहस नहीं करता था, बल्कि इस की ज़रूरत महसूस नहीं करता था। उसके बाद स्वराज्य आया, वोटिंग शुरू हुए, फ्रैन्चाइज़ हुआ, हर बालिग आदमी को मताधिकार मिला और वोटिंग के वक्त, इलैक्शन के वक्त बिरादरी का सहारा लिया गया, इस के लिए हम सभी बराबर के दोषी हैं। इसी तरह से सर्विसिज़ की होड़ में भी बिरादरी के नाम पर नौकरियां हासिल करने या अपनी डिमाण्डस नौकरी के लिए पेश करने की बात शुरू हुई। नतीजा यह हुआ कि कास्ट सिस्टम, जो स्वराज्य आने के बाद मिटना चाहिए था, ज्यादा प्रबल हो गया। इस से ज्यादा शर्म की बात हमारे देश के लिए और कोई नहीं हो सकती है। हम में से बहुत से लोग, सब तो नहीं, किसी भी दूसरे आदमी की योग्यता और अयोग्यता उस की बिरादरी से नापते हैं, उस की मैरिट्स से नहीं। असेम्बली, पार्लियामेण्ट जिला बोर्ड, पंचायत वगैरह के इलैक्शन में बिरादरी हम लोगों के सामने आती है और अगर एक ही बिरादरी के दो कैण्डीडेट्स एक-दूसरे के खिलाफ़ खड़े हों, तो गोत्र के बल पर वोट्स मांगे जाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद है कि यह बिरादरी मिटनी चाहिए थी, लेकिन मिटा नहीं पाये। यह

कैसे मिट सकती है ? इस के बारे में मेरे अपने कुछ विचार हैं, लेकिन इस वक्त उन को अर्ज करने का मौका नहीं है ।

इस वक्त हमारे सामने भाषा का सवाल है । हिन्दी का हमारे फाउण्डिंग-फादर्स ने स्वीकार किया, इसलिए नहीं कि बंगला या तामिल भाषा का साहित्य ऊंचा नहीं है, ऐसी बात हरगिज नहीं है, हमारे लीडर्स ने हमेशा इस बात को कहा है कि ऐसी बात नहीं है । लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हिन्दी भाषा को बोलने और समझने वालों की संख्या बनिस्बत दूसरी भाषाओं के देश में ज्यादा है और जब ऐसी बात है, जो कि निर्विवाद है, तो अगर हम को देश के लिए कोई भाषा आफिशियल लैंग्वेज बनानी हो, तो मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं—वह कौन सी भाषा हो सकती है, सिवाय हिन्दी के ? इसीलिए उस समय इस को स्वीकार किया गया था । मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं—हमारे पुरखों ने, एक पीढ़ी पहले, शायद मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे बहुत से साथियों के लिए, जो पुरखे हमारे फाउण्डिंग फादर्स थे, उन्होंने जब कांस्टीचूशन बनाया, तो अनेक बार उन्होंने कहा है कि हिन्दी को केवल इस लिए एक्सप्ट किया जा रहा है, क्योंकि सब से ज्यादा लोग इस को देश में समझने वाले हैं ।

दूसरी बात यह समझने की है कि क्या अंग्रेजी हमेशा यहां कायम रहेगी ? चीन आजाद हुआ, एक-दम चाइनीज उनकी आफिशियल लैंग्वेज बन गई । उन का सारा काम उसी भाषा में होता है । जापानी लोग हैं—जहां तक वैज्ञानिक विकास का ताल्लुक है, वैज्ञानिक प्रगति का सम्बन्ध है, किसी से पीछे नहीं है । हो सकता है—उन्होंने टैक्नीकल टर्म्ज (तकनीकी शब्द) यूरोपियन भाषाओं से लिए हों, लेकिन आज उन की वैज्ञानिक शिक्षा भी उन्हीं की भाषा में होती है । इसलिए अगर इस मुल्क का हम को सुधार करना है, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हम को एक भाषा, कम से कम केन्द्रीय स्तर पर लानी होगी, ऐसे तमाम कामों के लिए जिन का वास्ता सारे देश से पड़ता है, उन को चलाने के लिए हम को एक भाषा रखनी होगी । इसलिए जो लोग आज यह कहते हैं कि हिन्दी हो, हिन्दी हो, उन का मतलब केवल इतना ही है । इस से आगे अगर उन का कोई मतलब है, तो गवर्नमेण्ट उससे सहमत नहीं है ।

यहां पर पहले रोज मेरे एक मित्र ने कहा—मुझ को मालूम हुआ है—कि दक्षिण के प्रदेशों की गवर्नमेंट्स के साथ जो पत्र-व्यवहार होता है, केन्द्र की तरफ़ से, उन्हें हिन्दी में पत्र भेजते हैं, हिन्दी में पत्राचार करते हैं। यहां से सर्कुलर्स, रूल्स, आर्डर्ज या इनक्टमेण्ट्स की जो कापियां जाती हैं, वे हिन्दी में जाती हैं । ऐसी बात नहीं है, वे अंग्रेजी में जाती हैं । अगर किसी प्रदेश के साथ केन्द्र का पत्राचार होता है, कारस्पोंडेंस होती है, तो वह अंग्रेजी के जरिये होती है । लेकिन अगर बहुत से प्रदेशों के साथ उस चीज का वास्ता होता है तो वह अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में होती है । ऐसा सभी कार्यालयों में हो रहा है, एल० आई० सी० और रेल्वे डिपार्टमेण्ट हो या कोई भी डिपार्टमेण्ट हो । उस रोज मित्रों ने जो आशंका प्रकट की, तो मैंने दफ्तरों से मालूम किया, तो मुझे बताया गया कि हमारी तरफ़ से ऐसे कोई आदेश नहीं हैं कि केवल हिन्दी में भेजे जांय । हिन्दी और इंगलिश दोनों के लिए आदेश हैं । यहां से जितने आदेश और जितने पत्र जाते हैं, वे दोनों भाषाओं में जाते हैं । अगर कहीं ग़लती हो गई हो, तो माननीय मित्र मुझे बतलाएं । वह ठीक हो जाएगी लेकिन हम को यह मालूम है कि अभी तक इस

[श्री चरण सिंह]

सिलसिले में कोई ग़लती हो नहीं रही है ।

अब मेरी बाबत कहा गया कि मैंने इंकार कर दिया अंग्रेज़ी में बोलने से । पहली बात तो यह है कि मैं 22 जनवरी को बंगलौर गया था और यह बंगलौर की घटना है । मैं वहां पर डेढ़ घण्टे तक, बल्कि सौ मिनट तक चेम्बर्स आफ़ कामर्स की मीटिंग में अंग्रेज़ी में बोला और वर्कर्स की मीटिंग में भी दो घण्टे तक अंग्रेज़ी में बोला, लेकिन वह मीटिंग एक सेलेक्टेड इण्डिविजुअल्स की मीटिंग थी । जहां तक **मास** मीटिंग का सवाल है, मैं नहीं समझता, मेरे से तो सभी ज्यादा काबिल लोग यहां पर बैठे हुए हैं, कि **मास** मीटिंग में इंगलिश में वह लेहजा आ सकता है जो जनता समझ लेतीं हो । मैं ऐसा नहीं समझता । तो इसलिए मैंने यह कहा कि मैं हिन्दी में बोलुंगा और उस का तरजुमा श्री वीरेन्द्र पाटिल करेंगे । जब ऐसा हुआ तो थोड़े से ऊधर से कुछ लड़कों ने कहा, "इंगलिश, इंगलिश" । मैंने उन से कहा कि जब आप ऐसी बात कहते हैं तो इस का मतलब यह हुआ कि जो आदमी इंगलिश नहीं जानता है, वह यहां पर पब्लिक लाईफ में नहीं रहेगा । मैंने उन लोगों से यह भी कहा कि अगर आप बिहार जाएं और बिहार में लोग हिन्दी जानते हैं और अंग्रेज़ी सब लोग नहीं जानते,—वहां पर देहात और शहर के कितने लोग अंग्रेज़ी जानते हैं—और वहां पर आप अंग्रेज़ी में बोलें तो सुनने वाले लोग उस को समझेंगे नहीं और हिन्दी आप जानते नहीं हैं तो क्या रास्ता होगा ? इस के लिए रास्ता यही होगा कि आप अपनी भाषा में बोलें और जो दूसरा आदमी है, वह उसका तरजुमा वहां की भाषा में कर दे । अब यह कहा गया कि मेरे हिन्दी में भाषण करने से वहां के लोग नाराज़ हो गये । ग़ालिबन यह ठीक नहीं है क्योंकि बंगलौर में जो लोक सभा की 6 सीटें हैं, उन सब सीटों पर जनता पार्टी जीती । अगर लोग नाराज़ हो गये होते, तो ऐसी बात क्यों होती । कर्नाटक में बीजापुर, धारवाड़, रायचूर, होस्पेट आदि जगहों पर मैंने 12 भाषण दिये और उन 12 भाषणों में 7 में नहीं बल्कि 8 पब्लिक मीटिंग्स में श्री वीरेन्द्र पाटिल ने मुझ से यहां कहा कि आप हिन्दी में बोलिये । ये जो इलाके हैं ये पहले निज़ाम की डोमीनियन में थे या महाराष्ट्र में थे और वैसे तो वहां की भाषा कन्नड़ थी जोकि उन को मदर टंग थी, लेकिन वे लोग हिन्दी भी अच्छी तरह से समझ सकते थे । यही बात आन्ध्र प्रदेश के एक-तिहाई हिस्से की है, जो कि निजामाबाद में है । वहां पर मुझसे कहा गया कि आप हिन्दी में बोलिये और उस का तरजुमे करने की कोई जरूरत नहीं है, तेलगु में उस का तरजुमा करने की कोई जरूरत नहीं है । तो मेरे साथियों का यह कहना कि क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में नहीं बोल सका, इसलिए मैं दक्षिण की भाषाओं का दुश्मन हूं, उन का विरोधी हूं, यह कौन सा तर्क है ? यह तो मेरी नाकाबलियत रही लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि गवर्नमेंट तमिल या तेलगु या जो दक्षिण के मेरे दूसरे दोस्तों की भाषाएं हैं, उन के विरुद्ध है या उन का विकास नहीं चाहती है । हम सब का बराबर विकास चाहते हैं । इसीलिए अपने दोस्तों की भावनाओं का आदर रखने के लिए हमने हिन्दी को नेशनल लैंगुएज नहीं कहा है, केवल उस को राज भाषा कहा जा रहा है लेकिन मैं अपने दोस्तों से जो हिन्दी के नाम पर चिरागपा हो जाते हैं, यह जानना चाहता हूं कि आखिर अंग्रेज़ी कब तक 'बराबर भाषा' रहेगी ? नहीं रहेगी । महात्मा जी के जमाने में अगर मद्रास में कोई मीटिंग होती थी, कर्नाटक में होती थी या केरल में होती थी, तो सारे लीडर हिन्दी में वहां पर बोलते थे और हिन्दी में बोलने की कोशिश करते थे । हिन्दी बहुत सरल भाषा है और तीन महीने

के अन्दर बड़ी अच्छी तरह से आ सकती है लेकिन आए या न आए और सीखें या न सीखें, गवर्नमेंट की तरफ़ से कोई दबाव, कोई प्रेसर, कोई रुकावट किसी प्रकार की भी नहीं है। इसलिए बार बार इस चीज़ को जारी रखना, इस के लिए मैं यह कहूंगा कि यह लोगों के नेरो फीलिंग्स को अपील करना है। आखिर हम सब मिल कर नेशन को बनाना चाहते हैं और कन्ट्री हम सब का एक ही है। हिन्दी के बारे में जो गवर्नमेंट की नीति है, उस को बहुत बार हम ने क्लियर कर दिया है। हमेशा यही सवाल उठता है। तो मैं बहुत मोहबाना, विनय और अनुनय के साथ यह कहना चाहत हूं कि इस प्रश्न को उठाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी नीयत खराब नहीं है। हजार बार हम कह चुके हैं, बाहर कह चुके हैं और यहां कह चुके हैं कि पहली नीति में और हमारी नीति में कोई अन्तर नहीं है लेकिन साथ ही मैं यह अर्ज करूंगा कि यह समझना कि हिन्दी का इम्पोजीशन हो रहा है, ठीक नहीं है। इम्पोजिशन कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। जब अंग्रेज़ी की तारीफ की जाती है तो उस से यह मालूम होता है कि तारीफ करने वालों को अंग्रेज़ी पसंद है ब-मुकाबले हिन्दी के। माननीय लोहिया साहब कहा करते थे कि अगर अंग्रेज़ी के बजाय आप तमिल में बोलें, तेलगू में बोलें तो बात समझ में आ सकती है लेकिन आप अंग्रेज़ी में बोलेंगे और हिन्दी को गाली देंगे तो यह हक आपको हासिल नहीं है। अपनी भाषा में बोल कर भी हिन्दी को गाली देना समझ में नहीं आता है। हिन्दी के मुकाबले अंग्रेज़ी की तारीफ की जाय, यह हमारे स्वाभिमान और पेट्रोटिज्म का तकाजा नहीं है। अभी इधर के हमारे एक मित्र कह रहे थे कि सच्चाई यह है कि हमारे यहां से जो एम्बेसेडर्स मास्को, अमेरिका या दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वे अपने क्रिडेंशयल अंग्रेज़ी में पेश करते हैं वहां के लोगों को अफसोस और ताज्जुब होता है कि एक यह भी रेस है कि इसका कोई अपनापन और अभिमान नहीं है। वियतनाम के लोग यहां आयें। वे अपनी भाषा में बोले। लेकिन हमारे भाई बाहर जायेंगे तो अंग्रेज़ी में बोलेंगे और अपने देश में भी अंग्रेज़ी में बोलेंगे। कभी हमारे मन में यह विचार नहीं आता कि क्या यह उचित है? कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें अपनेपन का स्वाभिमान या अभिमान न हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपने माननीय मित्रों से यह कहना चाहता हूं कि रोज यहां जोर से चिल्लाना, एक दूसरे को कड़वी बात कहनां और कड़वी बात सुनना अच्छा नहीं है। यह बात मैं दोनों तरफ के लोगों से कहता हूं। हम इतने बड़े देश के नुमाइन्दे हो कर यहां बैठे हैं। इतने बड़े देश के नुमाइन्दे होने में हमारी बड़ी इज्जत है। हमें यह सोचना चाहिए कि इन सब बातों का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्प्रेशन पड़ता है? हम हिन्दी और अंग्रेज़ी के नाम पर झगड़ें, इस पर दूसरे लोग क्या कहेंगे, यह हमें सोचना चाहिए। हम आपस में बैठ कर तय कर लें और जो पास करना हो पास कर लिया जाए। लेकिन यहां बैठ कर अंग्रेज़ी के मुकाबले में हिन्दी को पूह पूह करना, यह बात समझ में नहीं आती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं। यह कोई ऐसा मजमून भी नहीं है जिस पर कोई लम्बा-चौड़ा भाषण दिया जा सके। मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र मुझे से सहमत होंगे कि कम से कम इस विषय पर संविधान में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

SHRI S. D. SOMASUNDARAM (Thanjavur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, on the language issue most of the

[Shri S. D. SomasundaRam]

members spoke from all the sides suporting my resolution directly or indirectly. Some of the members or a few of the members of the Janata Party are oposing my resolution beccuase they are sitting on the other side. If they happen to sit on this side, they will also be supporting my resolution. Some Members who spoke said that English was a foreign language. One member from this side, Mr. Unnikrishnan had already replied that English was not a foreign language. English is the mother tongue of the Anglo-Indians. If they are citizens of this country, and if the mother tongue of those people is English, how can the mother tongue of an Anglo-Indian be a foreign language ? Further we see the world through English; We get all the advantages of modern science through English. Then how can we say that it is a foreign language ? Some Members from the other side said that if we demand for English language then we are not Indians, we are not patriots.

I want to bring it to your kind notice that late Thiru Subhas Chandra Bose, when he was the President of Indian National Congress, pleaded strongly for the use of the Roman script for all Indian languages. I would like to know wheher he was a patriot or not. There is another instance. Our late Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru sent the Hindi invitation for his daughter's marriage in the Roman script. was he not a patriot ?

In both the Houses of Parliament and outside the Prime Minister, Thiru Morarji Desai and also the Home Minister have been assuring that they would not impose Hindi on the non-Hindi speaking people. A few days back also at Coimbatore in Janata Party Conference, the Prime Minister declared that Hindi will not be imposed or enforced by compulsion. I am very happy about it and the non-Hindi speaking people are also happy about it. Here also, most of the Members on the other side have said that they are not imposing Hindi on non-Hindi speaking people.

There is one Official language Implementation Committee in the Ministry of Civil Aviation and Tourism and they have considered that Hindi should be made more and more use of for their noting and drafting. There is one thing more. The Committee created the post of director in the scale of pay 1500—2000 for effective implemenation of Hindi. Is this not imposition of Hindi ? This is a systematic attempt to eliminate the use of English which will put the non-Hindi knowing people to much hardship and humiliation. Not only that, in future the non-Hindi speaking people cannot hope to get jobs in air India and in the department of Tourism and Civil Aviation unless they know Hindi. Is this not imposition of Hindi ?

In most of the post offices, when we want telegram forms, they will give only Hindi forms. English telegram forms are not available. Even in the Parliament House, we cannot get English telegram forms on most of the days. On Eleventh of this month, I went to the post office in the Parliament House and I wanted to get a telegram form in English, but only Hindi form was available there. It is not Imposition of Hindi ? In English newspapers, they will give most of the Government advertisements only in Hindi. Is it not imposition of Hindi.

According to the present procedure that is prevalent in the Parliament, we can get the actual proceedings and copies of debates only in English and Hindi and we are not supplied with English translation copies and we can get only in English and Hindi. Is this not imposition of Hindi on non-Hindi people ? Though we have been studying English for the past two centuries and more, it has not killed anyone of our regional languages. On the contrary, every one of the regional languages of India has developed, improved and enriched.

Is it possible to translate all the works into Hindi ? We cannot translate all the English works in Hindi. It will take at least a century or more. People in each State have their own regional language rich in heritage and capable of administering according to local requirements. English, which is an international language can still be a link for the purpose of our Inter-State and Centre-State relationships. There is no point it overburdening the student with a third language as if he has nothing else to learn except languages in the modern age of science and technology.

We, the non-Hindi speaking people are constrained to feel that the language policy of the Janata Government is designed to help only the Hindi-speaking people at the cost of others. If there is to be equlity amohg the people, the official language should necessarily be a nerural language which has to be learnt by one and all sharing its advantages and disadvantages equally.

During the discussion, one member from West Bengal, Thiru Saugata Roy, said that India is not a country but is a multi-nation. It is not only a multi-nation but it has multi-languages. He also expressed that Bangladesh was born only of language issue and also gave

caution for Indian unity. We give the cautionary word. Always the cautionary word is followed by the commanding word. Today we also give a cautionary word here. In future, thousands of people will give the commanding words. The country is facing an extraordinary situation because of the language issue. Hindi is one of the national languages. Hindi is now given the status of link language of the country. I consider that as a discrimination among the national languages. I further demand that Hindi should not be given link language status. I demand that the Constitution should be so amended as to maintain English as a link language and give chance to Bengali, Tamil, Telugu, Hindi and other suitable languages to develop themselves for becoming associate link language in due course.

In Bihar, they learn only the mother-tongue Hindi, Second language Sanskrit, and third language English. In Haryana—Hindi, Sanskrit and English; in Himachal Pradesh—Hindi, English and Urdu; in Madhya Pradesh—Hindi, Sanskrit and English; in Rajasthan—Hindi, Sanskrit and English; in Uttar Pradesh—Hindi, English and Sanskrit. In all the Hindi-speaking States they are learning only their mother-tongue and Sanskrit. Sanskrit is also in the same family of Hindi. I want to know whether they are following three language formula? They learn only two languages.

I have with me the questionnaire of the "Committee of Parliament on Official Language." It is better to put the title as "Committee of Parliament, not on Official Language, but on Hindi Language." I want to read one or two questions from this questionnaire. One question is : "What are your views about the progress made in the use of Hindi in the followihg fields—Administration and others?" There is another question whidh says : "It has been stated that one main reason why the translation work is not done in the Ministries/Departments and lacks communicative quality is that the staff engaged in this work are not properly trained. Do you agree with this view?" My answer is that it is not the fault of the staff, but it is the fault of the language itself.

There is another question : "Are you satisfied with the quantum of financial aid being given to the Voluntary Organisations doing work relating to the propagation and development of Hindi?" My answer is that the quantity of financial aid so far grante is itself a colossal waste. In the same way all the arrangements for Hindi which you are making are a colossal waste.

Lastly, I request every Member of the House to forget for the moment about his Party affiliation. Please think about the country, about the welfare of the people about the advancement of economics and science and technology and support my Resolution.

Once again I request the Members to support my Resolution not for myself, but for the country, for the integration of the country and for the welfare of the nation.

The Home Minister in his reply said that the Hindi-speaking people are more in number than other people. But I want to tell the House that the Hindi-speaking people are concentrated in one area, in one region. They are not spread throughout the length and breadth of India. They are concentrated at one place. From the satistics, I can tell that if we make a comparative study of the Hindi-speaking people, and the English-speaking people including both speaking and writing, we can find that the English-speaking people are more than the Hindi-speaking people and they are spread throughout the length and breadth of India. Therefore, I request that English should be the continuous link language.

Another point is that we want the constitutional amendment. I want to ask the Home Minister, what is wrong in having a Constitution amendment for making English a link language as long as the non-Hindi-speaking people want ? I request you all including the Hindi-speaking people to support it.

17 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We have two amendments. One is by Mr. O. P. Tyagi. He is not here. I have to put it.

The question is :

That in the resolution,—

omit "to amend the Constitution so as" (1)

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, Dr. Ramji Singh's amendment.

The question is:

That in the resolution,—

for—

"to amend the Constitution so as to implement Pandit Nehru's solemn assurance to Parliament

[Mr. Deputy-Speaker]

> that besides Hindi being the link language, English would continue as additional link language so long as non-Hindi speaking people want it."

substitute—

> "to implement the Constitutional provisions regarding the national language and see that the interests of other national languages of India do not suffer on account of over-lordship of English which is spoken only by 2 or 3 per cent. people."(2)

The motion as negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the main resolution. Mr. Somasundraam, do you want to withdraw it ?

SHRI S. D. SOMASUNDARAM : I am not withdrawing it.

AN HON. MEMBER : Let the Home Minister give an assurance.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Does the hon. Member want to withdraw it ? He does not seem to be in a mood to withdraw it.

The question is:

> "This House do urge upon the Government to amend the Constitution so as to implement Pandit Nehru's solemn assurance to Parliament that, besides Hindi being the link language, English would continue as additional link language so long as non-Hindi speaking people want it."

The motion was negatived.

17·04 hrs

RESOLUTION *RE* SETTING UP OF NETAJI NATIONAL ACADEMY

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I beg to move:

> "This House recommends to the Government that, in patriotic recognition of the fundamental contributions made by Netaji Subhas Chandra Bose, in thought and action, towards achieving independence of undivided India and evolution of ideological concept of our national reconstruction, an Institute of all India importance named as 'Netaji National Academy', be set up by the Government within a year for making specialised and advance studies on subjects, in which Netaji evinced keen interest, like,—(i) advance Military Science, (ii) modern socio-economic and political ideologies relevant to the objectives of Indian national reconstruction, (iii) concept of Indian national planning, (iv) perspective and problems of Indian national integration, (v) history of revolutionary movements for Indian independence and (vi) mission of Indian culture and civilisation towards achieving amity and understanding among the people of the world."

Mr. Deputy-Speaker, Sir, it may appear as surprising to some of my friends why, whenever I get an opportunity for either moving a resolution or any kind of an opportunity of introducing something of my own in this House, I always try to take advantage of it, for projecting the image and ideology of Netaji Subhas Chandra Bose. My answer to this question is, as I have already explained to this House on various occasions—and I want to reiterate it—that in the achievement of Indian independence, fundamental contributions have been made only by two great personalities, viz. Mahatma Gandhi and Netaji Subhas Chandra Bose.

It is not only in regard to the achievement of the objective of Indian independence that they have made fundamental contribution, but even in regard to the evolution of national ideologies of India, Mahatma Gandhi and Netaji Subhas Chandra Bose have made fundamental and original contribution. But, very unfortunately, for reasons of parochialism, for reasons of rivalry among the leaders, contemporary leaders of our national struggle, deliberate attempts have been made to shut out the image of Netaji, to black out the contribution of Netaji, and to create an impression, what to speak of having any fundamental contribution to Indian freedom or to the concept of Indian national ideology, as if Netaji was nothing but a leader of second-rate importance.

When I entered in this Parliament, from the very day of my maiden speech, when I spoke exclusively on Netaji and Netaji alone, I was surprised the next day to find the wide publicity the maiden speech of a member received all over the country.

I do not know how many new members of this House have had the experience of their speeches being editorially commented on, not by one paper but by innumerable papers all over the country. Why was it so? Even though it was the maiden speech of a new member, it was so because the country felt, the people of India felt that a conspiracy, deliberate conspiracy was continued to black out the image of one of the great sons, nay, one of the great-